

प्रेस नोट दिनांक 07.05.2026

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना बाघराय के उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय उ0नि0 अवधेश कुमार सिंह द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत NBW सम्बन्धित मु0अ0सं0-166/15 धारा 452, 341, 323, 504, 506,427,3 (1) 10 भादवि से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त संतोष दुबे पुत्र स्व0 दीपनारायण दुबे नि0 पाण्डेय का पुरा शकरदहा थाना बाघराय प्रतापगढ़ को थाना बाघराय क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. संतोष दुबे पुत्र स्व0 दीपनारायण दुबे नि0 पाण्डेय का पुरा शकरदहा थाना बाघराय, प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 विनीत कुमार यादव मय उ0नि0 अवधेश कुमार सिंह थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़।

थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्त को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत जगदीशगढ़ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह के नेतृत्व में म0उ0नि0 मय हमराह म0का0 संगीता यादव, का0 जगदीश प्रसाद द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 90/26 धारा 137(2)/87 BNS थाना दिलीपपुर से संबंधित 01 अभियुक्त राहुल पुत्र स्व0 शिव शंकर निवासी ग्राम पिपरी खालसा थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत जगदीशगढ़ चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं एक लडकी से प्यार करता हूँ, जिसको अपने साथ लेकर चला गया था। मुझे जानकारी हुई की उसके घर वालो ने मुकदमा लिखवा दिया है, तो मैं पकडे जाने के डर से आज साधन पकड बाहर शहर भागने के फिराक मे था कि आप लोगो ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. राहुल पुत्र स्व० शिव शंकर निवासी ग्राम पिपरी खालसा थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 29 वर्ष।

पुलिस टीम-

म०उ०नि० मय हमराह म०का० संगीता यादव, का० जगदीश प्रसाद थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता: चेकिंग के नाम पर ठगी करने वाले 02 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार, 1060/-रु बरामद-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अन्तर्जनपदीय अभियुक्त कमलेश कुमार यादव व राकेश गौतम उर्फ पप्पू को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत भगवा रेलवे क्रसिंग के पास से किया गया गिरफ्तार-

प्रतापगढ़।

दिनांक 01.01.2026 को वादी निवासी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन से पट्टी जाने हेतु एक चार पहिया वाहन में बैठने पर वाहन चालक द्वारा चेकिंग का भय दिखाकर ₹23,000/- रुपये लिफाफे में रखवा लिए गए। बाद में चालक द्वारा चिलबिला ओवरब्रिज के पास वादी को उतारकर रुपये लेकर फरार हो गया। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु०अ०सं० 108/26 धारा 318(4) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ०नि० अमित सिंह मय हमराह का० श्याम सुन्दर, का० विलास यादव, का० योगेन्द्र कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 108/2026 धारा 318(4)/317(2)/112/61(2)/127(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अन्तर्जनपदीय 02 अभियुक्त 1.कमलेश कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय राम आधार यादव निवासी खामपुर सिसवा थाना मऊआईमा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 54 वर्ष 2.राकेश गौतम उर्फ पप्पू पुत्र स्वर्गीय रामचरण निवासी पूरे पितई थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत

भगवा रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर धारा 317(2)/112/61 (2)/127 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों का विवरण-

01. कमलेश कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय राम आधार यादव निवासी खामपुर सिसवा थाना मऊआईमा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 54 वर्ष।
02. राकेश गौतम उर्फ पप्पू पुत्र स्वर्गीय रामचरण निवासी पूरे पितई थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त कमलेश कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय राम आधार यादव निवासी खामपुर सिसवा थाना मऊआईमा जनपद प्रयागराज उम्र करीब 54 वर्ष का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 140/26 धारा 318(4) बीएनएस, थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।
02. मु0अ0सं0 43/23 धारा 392/411 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना सराय इनायत जनपद प्रयागराज।
03. मु0अ0सं0 858/21 धारा 323/394/411/506 भादवि, थाना सिविल लाइन कमिश्नरेट प्रयागराज।
04. मु0अ0सं0 232/23 धारा 392/411 भादवि, थाना सिविल लाइन जनपद प्रयागराज।
05. मु0अ0सं0 313/19 धारा 41/411/413/414 भादवि, थाना नैनी जनपद प्रयागराज।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त राकेश गौतम उर्फ पप्पू पुत्र स्वर्गीय रामचरण निवासी पूरे पितई थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष का अपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 858/21 धारा 323/394/411/506 भादवि, थाना सिविल लाइन कमिश्नरेट प्रयागराज।
02. मु0अ0सं0 505/19 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना सिविल लाइन जनपद प्रयागराज।
03. मु0अ0सं0 134/19 धारा 41/411 भादवि, थाना मऊआईमा जनपद प्रयागराज।
04. मु0अ0सं0 135/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना मऊआईमा जनपद प्रयागराज।
05. मु0अ0सं0 313/19 धारा 411/413/414 भादवि, थाना नैनी जनपद प्रयागराज।
06. मु0अ0सं0 143/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना कोतवाली नगर जनपद अयोध्या।
07. मु0अ0सं0 144/21 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 1060/-रु बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह का0 श्याम सुन्दर, का0 विलास यादव, का0 योगेन्द्र कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पीसीआर से प्राप्त फायरिंग व हत्या के प्रयास के प्रकरण में मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा फायरिंग व हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त मंदीप द्विवेदी उर्फ दुर्गेश को गिरफ्तार किया गया-

अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, फायरिंग, गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर अभियोग पंजीकृत है-

प्रतापगढ़।

वादी निवासी ग्राम गोविन्दपुर पूरे अनुरुद्ध थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ द्वारा तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 25.10.2025 को नामजद एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल से आकर जान से मारने की नीयत से उन पर फायरिंग की गई, जिससे उन्हें सिर एवं सीने में गोली लगने से गंभीर चोटें आईं। वादी द्वारा मंदीप द्विवेदी, राजा तिवारी, राज द्विवेदी, अमन सिंह, उत्कर्ष द्विवेदी एवं एक अज्ञात व्यक्ति को नामजद किया गया है। इस संबंध में थाना लालगंज में मु0अ0सं0 404/2025 धारा 109 (1)/191 (2)/191 (3)/61 (2) बीएनएस बनाम 05 नामजद व 01 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह का0 पंकज कुमार, का0 कुलदीप पाल, का0 योगेश कुमार, रि0का0 अभिषेक सिंह यादव, मय चालक का0 देवेन्द्र सिंह द्वारा पीसीआर से प्राप्तशुदा थाना लालगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 404/2025 धारा 109(1)/191(2)/191(3)/61(2) बीएनएस से संबंधित मुख्य अभियुक्त मंदीप द्विवेदी उर्फ दुर्गेश पुत्र रामजी द्विवेदी उर्फ राजेन्द्र निवासी ग्राम ननकू दुबे का पुरवा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 1 अदद अवैध देशी तमन्चा 12 बोर के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कोलाबक्श वीरशाहपुर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना में प्रयुक्त तमन्चा अभियुक्त के निशानदेह पर बरामद किया गया एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मंदीप द्विवेदी उर्फ दुर्गेश पुत्र रामजी द्विवेदी उर्फ राजेन्द्र निवासी ग्राम ननकू दुबे का पुरवा थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष ।

अभियुक्त मन्दीप द्विवेदी उर्फ दुर्गेश द्विवेदी पुत्र राजेन्द्र प्रसाद द्विवेदी निवासी ननकू दुबे का पुरवा मजरे लकुरी थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 672/2022 धारा 392 भादवि, थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़
02. मु0अ0सं0 633/2022 धारा 147/148/308/323/325/504/506 भादवि व धारा 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट, थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
03. मु0अ0सं0 308/2023 धारा 147/148/308/323/325/504/506 भादवि व धारा 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट, थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
04. मु0अ0सं0 687/2022 धारा 120-बी/286/323/394/411 भादवि, थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
05. मु0अ0सं0 424/2023 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 रोहित कुमार मय हमराह का0 पंकज कुमार, का0 कुलदीप पाल, का0 योगेश कुमार, रि0का0 अभिषेक सिंह यादव, मय चालक का0 देवेन्द्र सिंह थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लालगंज पुलिस द्वारा “ आत्महत्या के लिए उकसाना” के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्ता गिरफ्तार-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत रायपुर तियाई चौराहा के पास से अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

दिनांक 05/05/2026 को वादिनी द्वारा आरोप लगाया गया कि उसका पुत्र अपनी ससुराल गया था, जहां से तबीयत खराब होने की सूचना मिलने पर परिजन ट्रामा सेंटर लालगंज पहुंचे तो वह मृत अवस्था में मिला। प्रार्थिनी के अनुसार उसकी बहू एवं एक अन्य व्यक्ति द्वारा प्रताड़ित किए जाने से आहत होकर उसके पुत्र ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इस संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना लालगंज में मु0अ0सं0 148/2026 धारा 108 B.N.S बनाम 01 नामजद व 01 अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार मय हमराह का0 श्रीचन्द्र ,म0आ0 निधि यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 148/2026 धारा 108 बीएनएस थाना

लालगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्ता उषा वर्मा पुत्री स्व० राम सुमेर वर्मा निवासिनी ग्राम मधुकरपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ पत्नी रामू वर्मा निवासिनी ग्राम श्रीरामपुर सारीपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत रायपुर तियाई चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-

1. उषा वर्मा पुत्री स्व० राम सुमेर वर्मा निवासिनी ग्राम मधुकरपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ पत्नी रामू वर्मा निवासिनी ग्राम श्रीरामपुर सारीपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष ।

पुलिस टीम-

उ०नि० दीपक कुमार मय हमराह का० श्रीचन्द्र ,म०आ० निधि यादव थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।